



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225014
CG-DL-E-09022021-225014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]
No. 61]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

अधिसूचना

चेन्नई, 28 मार्च, 2019

फा. संख्या एचआरएमडी/पर्यवेक्षी/177/002.—बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), 1970 (1970 की धारा 5) की धारा 19 जिसे धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पढ़ा जाएगा में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और पूर्व की केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त संस्तुति के साथ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करता है, अर्थात्

- (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकता है।
 - (2) इन्हें नवंबर 2007 के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा, बशर्ते कि विनियमों में यदि अन्य प्रकार से प्रदत्त है।
2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके पश्चात् कथित विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 के अनुसार-
- (i) उपबंध (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध को स्थापन किया जाएगा:-
- ‘(एफ) “परिवार” यानि अधिकारी का/की पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे अथवा विधिक रूप से अपनाए गए बच्चे समेत), शारीरिक रूप से 40% या अधिक दिव्यांग भाई व बहन एवं सामान्य रूप से साथ रह रहे अभिभावक जो पूर्णतः अधिकारी पर ही आश्रित हैं।’

व्याख्या : इस उपबंध के उद्देश्य हेतु बच्चे या अभिभावक या शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई व बहन को अधिकारी पर तभी आश्रित समझा जाएगा यदि ऐसे बच्चे, अभिभावक, भाई व बहन की मासिक आय रुपए 3,500 प्रति माह से कम होगी।

यदि किसी भी अभिभावक की आय रुपए 3,500 प्रति माह से अधिक है या दोनों अभिभावकों की कुल आय रु 3,500 प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) उपबंध (ओ) को मिटा दिया जाएगा।

3. कथित विनियम के विनियम 4 के अनुपालन के क्रमानुसार

(i) उप-विनियम (4ए) को समाप्त किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4ए) को समाप्त किए जाने के पश्चात, निम्नलिखित विनियमों को शामिल किया जाए, अर्थात: -

“(5) 1 नवंबर 2007 से प्रभावी, प्रत्येक संवर्ग के लिए वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

- उच्च कार्यपालक संवर्ग

स्केल VII = रु 46800 – 1300/4 – 52000

स्केल VI = रु 42000 – 1200/4 – 46800

(ख)वरिष्ठ प्रबन्धन संवर्ग

स्केल V = रु 36200-1000/2- 38200 – 1100/2 – 40400

स्केल IV = रु 302600-900/4- 34200 – 1000/2 – 36200

(ग)मध्यम प्रबन्धन संवर्ग

स्केल III = रु 25700-800/5- 29700 – 900/2 – 31500

स्केल II = रु 19400- 700/1- 20100 – 800/10 – 28100

(घ)कनिष्ठ प्रबन्धन संवर्ग

स्केल I = रु 14500- 600/7- 18700 – 700/2- 20100 – 800/7 – 25700

स्पष्टीकरण : प्रत्येक अधिकारी जो भी 31 अक्तूबर 2007 को लागू वेतन मान से संचालित होते हैं उन्हें इस उप विनियम के तहत बनाए गए वेतनमान में 1 नवंबर 2007 तक चरणबद्ध रूप से फिट किया जाएगा यानि कि प्रथम चरण से लेकर उत्तरवर्ती चरणों में सम्बद्ध वेतनमान के अनुसार और वेतन वृद्धि सामान्यरूप से सालगिरह की तिथि से लागू होगी यदि किसी और प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया है तो।

(6) इन संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों हेतु उप विनियम (1), (2), (3), (4) व (5) में वर्णित कुछ भी बैंक के लिए हमेशा करने योग्य नहीं समझा जाएगा।

4. कथित विनियम के विनियम 4 के अनुसार,-

(ए) उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

“(1) 1 नवंबर 2007 को और से विनियम 4 के उप विनियम (5) के प्रावधानों की शर्त पर, वेतनवृद्धि को निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर मंजूर किया जाएगा, अर्थात:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में तय वेतनमान में विनिर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की शर्त पर, वार्षिक आधार पर होगी और जिस माह में यह बकाया होगी उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी।

(बी) कनिष्ठ प्रबन्धन संवर्ग स्केल I के जो अधिकारी उच्चतम स्केल में अधिकतम तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबन्धन संवर्ग स्केल II में चले गए हैं वे सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष पूरा करने पर चार निश्चलता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे जिनमें से पहले दो रुपए 800 के होंगे और अगले दो रुपए 900 के होंगे।

बशर्ते कि 1 नवंबर 2007 को द्वितीय निश्चलता प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष या उससे अधिक का सेवा वर्ष पूरा कर चुके हैं उन्हें 1 नवंबर 2007 को तीसरी निश्चलता वेतन वृद्धि दी जाएगी और अगला निश्चलता वेतनवृद्धि 1 नवंबर 2008 को या उसके बाद दी जाएगी जब वे द्वितीय निश्चलता वेतनवृद्धि प्राप्त करके 6 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे।

(सी) मध्यम प्रबन्धन संवर्ग स्केल II के अधिकारी जो उच्चतम स्केल में अधिकतम तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबन्धन संवर्ग स्केल III में पहुंच गए हैं वे प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने पर रुपए 900 के तीन निश्चलता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि 1 नवंबर 2007 को द्वितीय निश्चलता प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष या उससे अधिक का सेवा वर्ष पूरा कर चुके हैं उन्हें 1 नवंबर 2007 को तीसरी निश्चलता वेतन वृद्धि दी जाएगी और अगला निश्चलता वेतनवृद्धि 1 नवंबर 2008 को या उसके बाद दी जाएगी जब वे द्वितीय निश्चलता वेतनवृद्धि प्राप्त करके 6 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे।

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि जो अधिकारी मध्यम प्रबन्धन वसंवर्ग स्केल III में नियुक्त अथवा पदोन्नत किए जाते हैं वे प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने पर रुपए 900 की चार निश्चलता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि जो अधिकारी दो निश्चलता वेतन वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं और दिनांक 1 नवंबर 2007 तक द्वितीय निश्चलता वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष पूरा कर चुके हैं वे 1 नवंबर 2007 को तीसरी निश्चलता वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे और चौथा निश्चलता वेतनवृद्धि 1 नवंबर 2008 को या उसके बाद द्वितीय निश्चलता वेतनवृद्धि प्राप्त करने के छह वर्ष पूरा होने पर पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण :- इस उप विनियम के अंतर्गत अगले उच्च स्केल में प्रदत्त वेतनवृद्धियों का अर्थ पदोन्नति नहीं है और अधिकारी की सुविधाएं, लाभ, दायित्व उसके मूलभूत पदानुसार होंगे।

(बी) उप विनियम (2),-

(i) उपबंध (ई) के पश्चात स्पष्टीकरण में, और नोट के पूर्व, निम्नलिखित उपबंध को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“1 नवंबर 2007 से और उसके बाद, अन्य बातें समान रहेंगी, पेशेवर अर्हता वेतन की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधित होगी:-

टेबल

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स पास किया है।	(i) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पर रु 410 प्रति माह
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स का दोनों भाग पास किया है।	(i) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पर रु 410 प्रति माह (ii) स्केल के अधिकतम पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात रु 1030 प्रति माह

यह प्रावधान किया जाता है कि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पहुंचने के बाद जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (कोई एक या

दोनों भाग) अर्हता प्राप्त करता है तो उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से पेशेवर अर्हता की पहली किश्त प्रदान की जाएगी और उसके बाद की किश्तों के प्रवाह के लिए पेशेवर अर्हता वेतन की पहली किश्त दिए जाने की तिथि को संदर्भ के तौर पर लिया जाएगा:

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि यदि किसी ने उपर्युक्त योग्यता पहले ही प्राप्त कर ली है और ऐसी अर्हता के लिए कोई वेतनवृद्धि या पेशेवर योग्यता वेतन नहीं प्राप्त किया है तो उसे 1 नवंबर 2007 से या ऐसी अर्हता/एं प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पेशेवर अर्हता वेतन प्रदान किया जाएगा।”

(ii) नोट में, उपबंध (v) के लिए निम्नलिखित उपबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा, इनमें :-

“(v) यदि किसी अधिकारी ने, 27 अप्रैल 2010 को कथित अर्हताओं में से जिनका जिक्र उपबंध (iv) में किया गया है प्राप्त कर लिया है और ऐसी किसी अर्हता के लिए उसे पेशेवर अर्हता वेतन या कोई वेतनवृद्धि नहीं प्राप्त हुई है तो ऐसी किसी अर्हता को प्राप्त करने की तिथि से या 1 नवंबर 2007 से, इनमें से जो भी बाद में आए, उसे पेशेवर अर्हता वेतन का भुगतान किया जाएगा।”

(सी) उपबंध (3),-

(iii) नोट से पूर्व और उपबंध (डी) के बाद निम्नलिखित उपबंध को जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

“(ई) 1 नवंबर 2007 से या उसके बाद से, अन्य सभी बातें समान रहते हुए, विनिर्दिष्ट निजी वेतन के साथ आवास किराया भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा और यह पूरी सेवा अवधि के दौरान समान ही रहेगा:-

टेबल

वेतनवृद्धि घटक (रु)	वेतनवृद्धि घटकों पर 1.11.2007 को लागू महंगाई भत्ता (रु)	जहां बैंक द्वारा रिहाईश उपलब्ध कराया जाता है वहां देय कुल निश्चित निजी वेतन (रु)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(iv) नोट में, उपबंध (i) व (ii) के लिए, निम्नलिखित उपबन्धों को विस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(i) टेबल के कॉलम (सी) के उपबंध (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत वर्णितानुसार विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक की ओर से आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) जो अधिकारी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे उनके लिए विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उठाए जा रहे आवास किराया भत्ता जो उसे विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) व (5) में निर्दिष्ट समुचित वेतनमान के अंतिम वेतनवृद्धि के समय प्राप्त हो रहे होंगे और टेबल के कॉलम (ए) व (बी) में उपबंध (ई) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी।”

(iii) नोट के पश्चात आ रहा उपबंध (ई) को पुनः उपबंध (v) के रूप में अंकित किया जाएगा और उपबंध (v) जिसे पुनः अंकित किया जाएगा उसे निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(v) उपर्युक्त उपबंध (ए) के अनुसार यदि किसी अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि हासिल कर ली है तो उसे उपबंध (बी), (सी), (डी) या (ई) में वर्णितानुसार निर्धारित निजी भत्ता/ निर्धारित निजी वेतन की प्रमात्रा का भुगतान उसे स्केल में सर्वोच्च पर पहुंचने के एक साल बाद ही प्रदान किया जाएगा।”

5. कथित विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम (3) में, नोट विलुप्त किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (3) में, नोट विलुप्त किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

“(5) नवंबर 2007 के पहले दिन से या उसके बाद, महंगाई भत्ता 2836 अंक में प्रत्येक चार अंक की कटौती या बढ़ोतरी पर ऑल इंडिया एवरेज वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सामान्य) बेस 1960=100 के तिमाही औसत का, वेतनमान के 0.15% की दर से देय होगा।

स्पष्टीकरण :- इस उप-विनियम के उद्देश्य हेतु, -

(ए) महंगाई भत्ते के संदर्भ में “वेतन” का अर्थ होगा निश्चलता वेतनवृद्धि समेत मूल वेतनमान;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई) व (एफ) में विनिर्दिष्ट अनुसार पेसेज़र अर्हता भत्ता अथवा पेशेवर अर्हता वेतन, महंगाई भत्ते के लिए रैंक होगा।

6. कथित विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (1) व (2) को निम्नलिखित प-विनियम से विस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(1) नवंबर 2002 की पहली तिथि से और उसके बाद,

(ए) जहां किसी भी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उससे जिस वेतनमान में हो उसके पहले चरण में मूल वेतन का 1.75% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा;

(बी) जहां कहीं भी किसी अधिकारी को यदि बैंक की ओर से रहने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है वो अधिकारी निम्नलिखित टेबल में विरिन्दिष्टानुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात:

टेबल

जहां कहीं कार्यस्थल इस प्रकार हो	देय एचआरए होगा
(1)	(2)
(i) प्रमुख “ए” वर्ग के शहर और समूह ए के एरिया केंद्र	वेतन का 8.5%
(ii) एरिया 1 के अन्य शहर एवं समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केंद्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसको देय आवास किराया भत्ता उसके घर के वास्तविक किराए के बराबर होगा जो कि जिस वेतनमान में वो है उसके प्रथम चरण के वेतन के 1.75% के साथ टेबल के कॉलम (2) में प्रदत्त के अनुसार आवास किराया भत्ता का 150% देय होगा।

(2) नवंबर 2007 के पहले दिन से और उसके बाद, -

(ए) यदि बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है उससे जिस वेतनमान में हो उसके पहले चरण में मूल वेतन का 1.20% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा;

(बी) जहां कहीं भी किसी अधिकारी को यदि बैंक की ओर से रहने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है वो अधिकारी निम्नलिखित टेबल में विनिर्दिष्ट अनुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, अर्थात:

टेबल

जहां कहीं कार्यस्थल इस प्रकार हो	देय एचआरए होगा
(1)	(2)
(i) प्रमुख “ए” वर्ग के शहर और समूह ए के एरिया केंद्र	वेतन का 8.5%
(ii) एरिया 1 के अन्य शहर एवं समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केंद्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उसको देय आवास किराया भत्ता उसके घर के वास्तविक किराए के बराबर होगा जो कि जिस वेतनान में वो है उसके प्रथम चरण के वेतन के 1.20% के साथ टेबल के कॉलम (2) में प्रदत्त के अनुसार आवास किराया भत्ता का 150% देय होगा।

नोट,-मालिकाना रिहाईश के लिए लागत से लिंकड आवास किराया भत्ते के लिए अधिकारी का दावा भी अब तक जैसा होता रहा है उसी अनुसार आवास किराया भत्ते का 150% तक सीमित रहेगा।“

7. कथित विनियमन के 23 विनियम में

I. उप-विनियमन (1) में, 2002 नवम्बर के पहले दिन” के आकड़ों, शब्दों और पत्रों, को 2007 नवम्बर के प्रथम दिन” के आकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

II. उप-विनियमन (2) में, 2002 नवम्बर के पहले दिन” के आकड़ों, शब्दों और पत्रों को, 2007 नवम्बर के प्रथम दिन” के आकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

III. उप-विनियमन (3), (4) और (5) के लिए निम्न उप-विनियमनों को प्रतिस्थापित किये जायेंगे – उनके नाम

“(3) 1 नवम्बर 2007 को और उस दिन से यदि अधिकारी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहा है जो वर्ग क या वर्ग ख के तहत आने वाले परियोजना क्षेत्र को रूप में विनिर्दिष्ट है तो वह ग्रुप क या ग्रुप ख क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार रु 290 प्रतिमाह या रु 255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।

(v) 1 मई 2010 को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी शैक्षिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसको एक या अधिक बच्चे पहले वाले स्थान में स्थित स्कूल या कॉलेज में पढ रहे हैं तो वह अपने सभी बच्चों के लिए दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक प्रतिमाह रु 700 के मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते यदि पहले स्थान पर पढने वाले उसके सभी बच्चे यदि पढाई छोड़ देते हैं तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।

5) 1 मई 2010 को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़े वेतन लाभ को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है या अपनी वेतन के अतिरिक्त वह वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि यह भत्ता प्रतिमाह रु 2300 से अधिक न हो। इसके अलावा वह ऐसे अन्य भत्ते भी पा सकता है जो उसको उस स्थान पर बैंक की सेवा में नियुक्त करने पर मिलते हैं।

उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त होगा जो रु 1200 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा बशर्ते उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर है जहाँ उसे प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले नियुक्त किया गया था।

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ते के लिए पात्र होगा जो रु 1200 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(IV) उप-विनियम (आठ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा- “(8) 1 नवंबर 2007 को और उस दिन से यदि कार्य समय को 2 घंटों के न्यूनतम विराम सहित विभाजित किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को ₹165 प्रतिमाह की दर से विभाजित कार्य भत्ता मिलेगा।

5) उप विनियम (10) में,-

क) “नवम्बर 2002 का पहले दिन” के आकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “नवम्बर 2007 का पहले दिन” के आकड़ों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

ख) टेबल के लिए निम्न टेबल को प्रतिस्थापित किया जाए, जो इस प्रकार हैं:-

“टेबल”

स्थान (1)	दर (2)
1) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई और 1500 मीटर से कम वाले स्थान तथा मर्कारा शहर	वेतन का 2% अधिकतम रुपये 550 प्रति माह में
2) 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई और 3000 मीटर से कम वाले स्थान	वेतन का 2 ½ % अधिकतम रुपये 550 प्रति माह में
3) 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5 % अधिकतम रुपये 1570 प्रति माह में

8) उक्त विनियम के विनियम 24 में, उप विनियम (1) में, धारा (ए) के लिए, निम्न धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी: “क) चिकित्सा व्यय: नवम्बर 2007 के पहले दिन से, एक अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, जो इस तरह के व्यय के लिए अधिकारियों द्वारा खातों के विवरण से समर्थित राशि के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निम्न तालिका में विशेष रूप से दी गई है”

टेबल

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	5100 रुपये या खर्च की गयी राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	6320 रुपये या खर्च की गयी जो भी कम हो

नोट: 1) किसी भी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जब ऊपर दी गई अधिकतम राशि किसी भी समय तीन गुना से ज्यादा ना हो या

2) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर 2007।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के उद्देश्य हेतु

1) अधिकारी के संबंध में अस्पताल में भर्ती करने के शुल्क का 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति होगी और इनके परिवार के संबंध में जहाँ भी अस्पताल में भर्ती करने के आवश्यकता हो, वहाँ 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी या

2) मई 2010 के पहले दिन से, कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस विनियम के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति, अस्पताल में भर्ती योजना की शर्तों और दिनांक 27 अप्रैल 2010 को हुए द्विपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार होगी यथा :

टेबल

क) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल 1 और मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III	1) बिस्तर का शुल्क स्वयं: 700 रुपये प्रति दिन परिवार : 525 रुपये प्रति वर्ष 2) अन्य शुल्क कार्यरत कर्मचारी के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के तहत निर्धारित सीमा के 125% स्केल पर
ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV और V उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VI और VII	1) बिस्तर का शुल्क स्वयं: 900 रुपये प्रति दिन परिवार : 675 रुपये प्रति वर्ष 2) अन्य शुल्क कार्यरत कर्मचारी के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के तहत निर्धारित सीमा के 150% स्केल पर

9. उक्त विनियम के विनियम 25 में, उप विनियम (2) में, धारा (ए) के लिए, निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित की जाएगी यथा:

“(2) उप विनियम (1) में मौजूद किसी भी विषयवस्तु के बावजूद, बैंक के पास यह विकल्प खुला है कि वे बैंक के अधिकारियों को आवासीय व्यवस्था उनके द्वारा भुगतान करने पर नवम्बर 2007 की पहली तारीख से उपलब्ध कराएं, जिस वेतनमान पर वह पदास्थापित है उस स्तर के मूल वेतन में से 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवास के लिए मानक किराया जो भी कम हो:

यह कि इस तरह के निवास पर फर्नीचर आदि अधिकारी को प्रदान किए जाएं, जिस वेतनमान पर वह कार्यरत है उसके पहले चरण में मूल वेतन के 0.25% के बराबर की राशि बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।

आगे यह भी बताया जा रहा है कि जब भी इस तरह के आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो बिजली, पानी, गैस और सफाई आदि के प्रभार का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. उक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) में, धारा (ए) के लिए, निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित की जाएगी:

“(3) मई 2010 के पहले दिन से प्रभावी, 12 महीने की कुल अवधि के दौरान अधिकतम 45 दिनों तक हिस्टेरेक्टोमी के मामले में छुटी दी जा सकती है।

11. उक्त विनियम के विनियम 41 में, उप विनियम (4) में, धारा (ए) के लिए, निम्न धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएगी:

“(क) विराम भत्ता: मई 2010 की पहली तारीख से कोई भी अधिकारी नीचे दिए गए टेबल के कॉलम 1 अनुसार अपने ग्रेड या स्केल अनुसार प्रतिदिन के लिए कॉलम (2) में दी गई संबंधित दरों के अनुसार विराम भत्ते के लिए पात्र है, यथा :

अधिकारियों के ग्रेड/स्केल	(ए) क्लास शहरों के लिए	एरिया 1	अन्य स्थान
1	(2)		
	रुपये	रुपये	रुपये
स्केल IV और उससे उच्च अधिकारी	1000	800	700
I/II/III स्केल के अधिकारी	800	700	600

वेतनमान 4 या उससे ऊपर के अधिकारी यदि अपने नियुक्ति स्थल से बाहर चार महानगरों- दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चैन्नई में कार्य निर्वहन के लिए जाते हैं तो उन्हें विराम भत्ते के रूप में रुपये 1200/- प्रतिदिन और वेतनमान I/II/III के अधिकारियों को रुपये 1000/- प्रतिदिन के अनुसार दिए जाएंगे। बशर्ते जहाँ अनुपस्थिति के कुल अवधि 4 घंटे से अधिक परंतु 8 घंटे से कम हो तो विराम भत्ते का भुगतान उक्त दरों की आधी दरों पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: विराम भत्ते की गणना के उद्देश्य से 'प्रतिदिन' का अर्थ प्रत्येक 24 घंटे या उसके भाग से है, जिसकी गणना वायुयात्रा के संबंध में प्रस्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के अधिसूचित समय से आरंभ कर वापस आने के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहाँ अनुपस्थिति का कुल समय 24 घंटे से कम हो वहाँ प्रतिदिन का अर्थ है कुल अवधि का 8 घंटे से कम ना होना।

12. उक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) में, धारा (ए) के लिए, निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित की जाएगी: '(4) मई 2010 की पहली तारीख से, कोई भी अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन व सामान का बीमा इत्यादि व्ययों के लिए नीचे टेबल में दर्शाई गई एकमुश्त राशि के लिए पात्र हैं:

“टेबल

ग्रेड	एकमुश्त राशि
उच्च प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन	रुपये 12,000/-
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रुपये 9,000/-

13. उक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) में, धारा (ए) के लिए, निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित की जाएगी: “यह बताया गया है कि मई 2010 की पहली तारीख से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल 1 के अधिकारी जो छुट्टी किराया सुविधा का उपयोग करते समय वायु मार्ग से न्यूनतम किराया एकाँनॉमी क्लास से यात्रा करने के लिए पात्र है परंतु मूल प्रतिपूर्ति ट्रेन की एसी प्रथम श्रेणी पर लागू किराए के अनुसार यात्रा की गई दूरी पर तय की जाएगी, जो भी कम उस अनुसार और यही विनियम मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III पर लागू होगा जब उनके द्वारा उपयोग की गई छुट्टी अवकाश छूट में तय की गई दूरी 1000 किमी से कम हो।

14. उक्त विनियम के विनियम 45 में, 1 उप विनियम (1) में, निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित की जाएगी:

“यह बताया गया है कि अप्रैल 2010 के पहले दिन को या उनके बाद बैंक में अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को भविष्य निधि की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।”

2) उप नियम(3) में, धारा (बी) और नोट के पहले, निम्न धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी:

“सी) जिन अधिकारियों ने अंशदान भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने पेंशन योजना को नहीं अपनाया वे अंशदान भविष्य निधि में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं।”

3) उप विनियम (3) के बाद, निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं:

“(4) जिन अधिकारियों ने 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है वे पारिभाषित अंशदान भविष्य निधि के अंतर्गत आरक्षित होंगे, जहाँ अधिकारी अपने मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 10% देंगे और बैंक भी समान राशि का अंशदान समय समय पर संशोधित दिनांकित 22 दिसम्बर 2003 एफ.सं.5/7/2003-ईसीबी और पीआर, भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित नई पेंशन योजना में अंशदान भविष्य निधि के प्रावधान अनुसार करेगी।

15. उक्त विनियम की अनुसूची के लिए, निम्न अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी:

“ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक(अधिकारी) सेवा नियमन, 1979.

(विविनियम 23 के उप विनियम (2))

नवम्बर 2007 की पहली तारीख से, कोई भी अधिकारी तब तक विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे जब तक वे पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधित या आहरित ना किए जाए, जो निम्न टेबल में उल्लेखित है:

टेबल

क्रम सं	क्षेत्र	भत्ते(रूपये)	
		14,700/- से कम वेतनमान	14,700/- से ज्यादा वेतनमान
1	2	3	4
1.	क)मिजोरम के चिम्पतुपुरी जिले और लुंगलई जिले के लुंगलई शहर के आस पास 25 किमी का क्षेत्र।	2000	2600
	ख) पुरे लुंगलई जिले में मिजोरम के लुंगलई शहर से 25 किमी का क्षेत्र को छोड़ कर ।	1600	2100
	ग) मिजोरम जिले के आइजॉल जिले में	1200	1500
2	नागालैंड	1600	2100
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	क) उत्तर निकोबार, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नार्कोडम द्वीप समूह	2000	2600
	बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4	सिक्किम	2000	2600
5	लक्षद्वीप समूह	2000	2600
6	असम	320	400
7	मेघालय	320	400
8	त्रिपुरा		
	क) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	1600	2100
	ख) पूरे त्रिपुरा में कठिन क्षेत्र के अतिरिक्त	1200	1500
9	मणिपुर	1200	1500
10	अरुणाचल प्रदेश		
	क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	2000	2600
	ख) पूरे अरुणाचल प्रदेश में कठिन क्षेत्र के अतिरिक्त	1600	2100

11	जम्मू और कश्मीर क) कथुआ जिला: निबात बानी,लोही,मलहार और मच्चोडी ख) उधमपुर जिला: 1) डुडु बसंतगढ़,लांडर भमग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल के अलावे अन्य सभी 2) कंबन तरफ से गोयल तक के क्षेत्र और तहसील मोड़ में केसरी की तरफ से अरनस तक के क्षेत्र	2000 2000 1600	2600 2600 2100
	सी) दोडा जिला: किश्वर तहसील में निबात नौगाम और पैडर के इलाका घ) लेह जिला: जिले के सभी क्षेत्र च) बारामुला जिला: 1) कुल गुरेज़ निराबत,टांगडर उप- अनुभाग और केरन इलाक्या 2) मैचिल छ) पूंछ और रजौरी जिला: पूंछ और रजौरी जिला के शहर और इन दोनों जिलों सुंदरबनी तथा अन्य शहरी क्षेत्र को छोड़ कर पूंछ और रजौरी जिला ज) उपर्युक्त मद सं ए से एफ तक में शामिल ना होने वाले, किंतु वास्तविक नियंत्रण लाइन से 8 कि.मी दुरी के तहत या राज्य सरकार के अपने स्टाफ सदस्यों द्वारा समय समय पर बोर्डर भत्ता हेतु जाने जाने वाले या घोषित हुए स्थान	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	हिमाचल प्रदेश क) चंबा जिला 1) पंगी तहसील,भारमोर तहसील, पंचायत: बडगाँव ,बाजोल,देयोल कुग्टी, नयागाम और टुंडाह,ग्राम: ग्राम पंचायत जगत के घोटु,ग्राम पंचायत चौथा की कंसारी 2) भारमोर तहसील,उपर्युक्त (1) में शामिल ग्राम और पंचायत के अतिरिक्त 3) भाटियात तहसील में झांडरू पंचायत,चौराह	2000 1600 1200	2600 2100 1500

	तहसील, डलहौजी शहर(बानीखेत सहित)		
	बी) किन्नूर जिला: 1) असरंग,चिटकुल और हांगो कुनो/ चरंग पंचायत,नाथपा और रूपी. पुह उप प्रभाग,उपर्युक्त उल्लेखित पंचायत क्षेत्र के अतिरिक्त छोटा कांबा की ग्राम पंचायत का 15/20 क्षेत्र 2) (अ) उपर्युक्त में शामिल क्षेत्र सहित पूरा जिला	2000 1600	2600 2100
	सी) कुल्लु जिला: 1) खर्गा, कुशवर और सर्गा की ग्राम पंचायत की तुलना में निर्मद तहसील क्षेत्र का 15/20 2) बाहरी सरज़(निर्मन्द तहसील और जगत-खाना के ग्रामों के अतिरिक्त) और पन्द्राबीस परगना और बाहरी सेराज क्षेत्र को छोड़ कर पूरा जिला परंतु निर्मन्द तहसील के बुरो और जगत -खाना के ग्रामों सहित।	2000 1200	2600 1500
	डी) लाहौल और सिप्ती जिला: लाहौल और सिप्ती का पूरा क्षेत्र	2000	2600
	ई) शिमला जिला: 1) छद्दी-ब्रान्दा,सरपरा,लवाना-सदाना और कूट की पंचायत की तुलना में पूरे रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र	2000	2600
	2) डोरा-कवर तहसील,रामपुर में डरकलि के ग्राम पंचायत, सरहान परगना के गोरी चैबिस,मुनिश और काश्तपत तहसील 3) सरहान परगना के तीन कोटी, और नुबिश्, पतखौ,पंजगाँव,गोरिश और चोपल तहसील, तक्लेश क्षेत्र के पंचायत ग्राम छोति, परगना बाराबीस,रामपुर तहसील के रामपुर और परगना की और गोरी नाँग , काशपा रामपुर, शिमला शहर और उसके उपनगर (धल्ली, जतोग, कसुम्पती, माशोब्रा तारादेवी औत टुटु)	1600 1200	2100 1500
	एफ) कांगड़ा जिला: 1) बारा भंगल के क्षेत्र और छोटा भंगल	1600	2100
	2) कांगड़ा जिले का धरमशाला शहर और नगर निगम के बाहर स्थित निम्न कार्यालय लेकिन धरमशाला शहर में शामिल है- महिला आईटीआई, डारी, मकैनिकल वर्कसॉप, रामनगर, बाल कल्याण		

	तथा शहर एवं देश परियोजना कार्यालय, सकोह, नीची सकोह में सीआरपीएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगैर, एचआरटीसी कार्यशाला, सदेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, डारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, डारी, आई.पी.एच. उपमंडल, डैन, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिंवा परियोजना, शामनगर। कांगड़ा जिले के पालमपुर शहर सहित पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस, और इसके नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय परंतु पालमपुर शहर में शामिल है -एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, पशुपालन विकास कार्यालय / जर्शी फार्म, बनुरी,सेरीकल्चर कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्लुडी अनुभाग, बुण्डाला, विद्युत उप मण्डल, लोहना, डी.पी.ओ निगम, बुंडला, विद्युत एचईएसईई मण्डल, घुग्गर	1200	1500
	जी) मण्डी जिला: जोगिन्दरनगर तहसील की छुहर घाटी, बागरा के तहसील थुनाग में पंचायत, चत्री, छोटधर, गरगुसैन, गाढ़, गर्यास, झंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कल्वन, खोलनल, लोथ, सिलिबागी, सोमचन, थाचधर, ताची, थाना, भींग – ब्लॉक धरमपुर की पंचायतें, कमलाह,सकलाना, तन्यर और तारखोला, करसोग तहसील की पंचायत- बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सरहान और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा, धनयारा, पौराकोठी, सेरी और सोजा। एच) सिरमौर जिला: बानी के पंचायतें, बखाली (पञ्चड तहसील), भरोग भेनेरी (पोंटा तहसील) बिरला (नहन तहसील) दिब्बेर (पञ्चड तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थनसिगरी	1200 1200	1500 1500
	1) सोलन जिला: मंगल पंचायत 2) उपर्युक्त (1) से (अ) में शामिल ना होने वाले हिमाचल प्रदेश के बचे हुए क्षेत्र	1200 320	1500 400
13.	उत्तराखंड चंपावट जिले और रुद्रप्रयाग,उत्तरकाशि, पिथौरागढ़, चमोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	2000	2600''

विवरणात्मक ज्ञापन

इस संबंध में संबंधित बैंक द्वारा दिए गए विशिष्ट जनादेश के आधार पर सदस्य बैंक की ओर से इंडियन बैंक एसोसियेशन के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमति अवधि और शर्त के अनुसार, बैंको द्वारा विविधनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाएगा। अतः किसी भी व्यक्ति का हित इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

डी पलनिसामी, महा प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/4/असा./495/2020-21]

नोट: विवरण के अनुसार मुख्य नियमों में संशोधन भारत के राज पत्र में प्रकाशित किए थे:

क्रम सं	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	31/पर्यवेक्षी/97	12.01.1988
2	31/पर्यवेक्षी/861	07.05.1988
3	31/ पर्यवेक्षी/2139	29.09.1988
4	का.प्र.वि./177/3/88	09.12.1989
5	का.प्र.वि./177/1/89	09.12.1989
6	का.प्र.वि./177	05.03.1994
7	का.प्र.वि./177	21.07.1995
8	का.प्र.वि./177	17.08.1996
9	का.प्र.वि./177	19.11.1996
10	का.प्र.वि./177	12.05.1999
11	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177	14.10.1999
12	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177	17.06.2000
13	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177	08.09.2001
14	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177	21.12.2002
15	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177/49	08.06.2006
16	का.प्र.वि./पर्यवेक्षी/177	05.04.2008

INDIAN OVERSEAS BANK**NOTIFICATION**

Chennai, the 28th March, 2019

F.No. HRMD/SUP/177/002.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

- (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Second Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
 - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs. 3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’
 - (ii) Clause (o) shall be omitted.
3. In regulation 4 of the said regulations,-
 - (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
 - (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

 - (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800
 - (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200
 - (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100
 - (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.
 - (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.
4. In regulation 5 of the said regulations, -
 - (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

 - (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
 - (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle

Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher

scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

- (ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to

in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v)An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1st day of November, 2002,

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification

of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of May 2010, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iv) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

- (ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to Indian Overseas Bank (Officers’) Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District :		
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District	2000	2600
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghorī Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghorī Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhawal and Chhota Bhawal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiār, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town-H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District:		
	Chhuvar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District:		

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

D. PALANISAMY, General Manager
[ADVT.-III/4/Exty./495/2020-21]

Note: The amendments to the principal regulations were published in the Gazette of India as per details given below :

S No.	Notification Number	Dated
1	31/SUP/97	12.01.1988
2	31/SUP/861	07.05.1988
3	31/SUP/2139	29.09.1988
4	PAD/177/3/88	09.12.1989
5	PAD/177/1/89	09.12.1989
6	PAD/177	05.03.1994
7	PAD/177	21.07.1995
8	PAD/177	17.08.1996
9	PAD/177	19.11.1996
10	PAD/177	12.05.1999
11	PAD/SUP/177	14.10.1999
12	PAD/SUP/177	17.06.2000
13	PAD/SUP/177	08.09.2001
14	PAD/SUP/177	21.12.2002
15	PAD/SUP/177/49	08.06.2006
16	PAD/SUP/177	05.04.2008